सगसजी बावजी के जन्मोत्सव पर निकली शोभायात्रा



कपासन (प्रातःकाल संवाददाता)। शिवशक्ति मार्ग कपासन पर स्थित बड़ला वाले सगसजी बावजी का जन्मोत्सव तथा कुंवर कल्लाजी राठौड़ बावजी का जन्मोत्सव शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शुक्रवार प्रातः सात बजे सगसजी बावजी का इत्र अभिषेक तथा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद कल्याण सेवक गादीपति निशितजी तथा सगसजी बावजी के भोपाजी जमनालाल तेली के सान्निध्य में ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में सगसजी बावजी की प्रतिमा को रथ में श्रृंगारित किया गया था तथा महिलाए भजनों पर नृत्य करते हुए चल रही थी। शोभायात्रा सोमेश्वर महादेव मंदिर, उदयपुर रोड़, पांच बत्ती चौराहा, बस स्टैंड, कुम्हार मोहल्ला, लोडकिया चौंक, खारी बावड़ी हनुमान मंदिर होते हुए पुनः सगसजी बावजी स्थानक पर पहुंची। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया। शोभायात्रा समापन के बाद सगसजी बावजी स्थानक पर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सांय छह बजे महाआरती के बाद अन्नकूट के प्रसाद का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर प्रसाद ग्रहण किया। सगसजी बावजी जन्मोत्सव पर सगसजी बावजी स्थानक पर आकर्षक विद्युत एवं फूल पतियों से सजावट की गई। इससे पूर्व गुरुवार रात्रि को कल्याण सेवक गादीपति निशितजी के कपासन आगमन पर श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया। रात्रि नौ बजे पंडित आशीष आनन्द महाराज द्वारा सुंदरकांड पाठ का संगीतमय वाचन किया गया बाद में महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। रात्रि बारह बजे श्रद्धालु भक्तों की ओर से रंग-बिरंगी आतिशबाजी कर जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया गया।

जिला स्तरीय सिक्स-ए-साइड प्रतियोगिता आज

राजसमन्द (प्रातःकाल संवाददाता)। राजसमंद जिले में हॉकी खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत शुक्रवार से भाणा हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर जिला स्तरीय सिक्स-ए-साइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्थानों से बालक एवं बालिका वर्ग की आठ-आठ टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता के माध्यम से जिले की हॉकी प्रतिभाओं को अपनी खेल क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा तथा राजसमंद की हॉकी परंपरा को पुनः मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के निर्देशन में आयोजित की जा रही प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले में हॉकी खेल के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ाने प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें बेहतर खेल मंच उपलब्ध कराना है। भाणा हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग की टीमें सिक्स-ए-साइड प्रारूप में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों एवं खेलप्रेमियों में उत्साह का माहौल है।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पाड्या से व्यापार संघ के पदाधिकारी ने की मुलाकात



निंबाहेड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजीव पांड्या से क्रेता व्यापार संघ एवं युवा व्यापार संघ के पदाधिकारी ने कृषि उपज मंडी समिति निंबाहेड़ा कार्यालय में मुलाकात कर व्यापार संघ के कार्यालय आवंटन एवं व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। क्रेता व्यापार संघ के महामंत्री अभिषेक वडाला ने बताया किकृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजीव पांड्या को निंबाहेड़ा कृषि उपज मंडी प्रांगण में व्यापार संघ के कार्यालय हेतु जमीन आवंटन, व्यापारियों किसानों को जमीन आवंटन, तोल के लिए धर्म कांटा लगाना एवं मंडी में किसानों और व्यापारियों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि इन समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाकर किसानों और व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल में क्रेता व्यापार संघ के अध्यक्ष नानालाल भूतड़ा, महामंत्री अभिषेक वडारा, युवा व्यापार संघ के अध्यक्ष मनोज राजोरा, क्रेता व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष निलेश सहलोत, वैभव अब्बाणी, सुमित चंडक, मनोज मेहता, विरेश गोठवाल ने संयुक्त निदेशक संजीव पांड्या को विस्तृत रूप से सभी समस्याओं से अवगत कराया।

नवीन जिला कारागृह भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण

नवीन जेल, प्रशासनिक भवन, आवासीय क्वार्टर और बंदी खुला शिविर के लिए 15 हेक्टेयर भूमि देखी

सलूम्बर (प्रातःकाल संवाददाता)। नवीन जिला कारागृह भवन के निर्माण की दिशा में जिला कारागृह प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला कारागृह सलूम्बर के उपाधीक्षक मोहन मीणा ने नवीन जेल भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया।



निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित नवीन जेल परिसर के लिए चिन्हित लगभग 15 हेक्टेयर भूमि का जायजा लिया गया। प्रस्तावित भूमि पर नवीन जिला कारागृह भवन के साथ प्रशासनिक भवन, आवासीय क्वार्टर तथा बंदी खुला शिविर भवन के निर्माण की योजना है। निरीक्षण के दौरान भूमि की स्थिति, उपलब्ध क्षेत्रफल एवं निर्माण के लिए उसकी उपयुक्तता सहित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी ली गई। उपाधीक्षक मोहन मीणा ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भिजवाने तथा भूमि आवंटन की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए, ताकि नवीन जेल भवन निर्माण के लिए आवश्यक बजट आवंटन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि नवीन जिला कारागृह भवन के निर्माण से कारागृह की व्यवस्थाओं को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक एवं आवासीय सुविधाओं के विकास से कारागृह संचालन को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निरीक्षण के दौरान जेलर मुकेश कुमार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शिक्षकों की कमी पर ग्रामीणों ने दी तालाबंदी की चेतावनी, की मांग

स्कूल 350 छात्र, 5 शिक्षक, 3 डेपुटेशन पर

धरियावद (प्रातःकाल संवाददाता)। ग्राम पंचायत भोजपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में बेहद कम शिक्षक होने तथा तीन अध्यापकों के अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर होने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम धरियावद उपखंड अधिकारी संदीप कुमार को एक ज्ञापन सोपा। जिसमें 7 दिवस में व्यवस्था सुधारने की मांग की है। समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने आगामी सात दिन बाद स्कूल पर तालाबंदी कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि भोजपुर के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 350 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में शिक्षकों के 20 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5 अध्यापक ही कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, इनमें से भी 3 कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अन्य स्थानों पर कर दी गई है, जबकि उनका वेतन इसी विद्यालय से उठ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए तीनों कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की मांग की है। समय सीमा में मांग पूरी नहीं होने पर स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

औद्योगिक कचरे के खिलाफ संघर्ष राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका

बड़ी सादड़ी(प्रातःकाल संवाददाता)। क्षेत्र में कथित औद्योगिक कचरे से प्रभावित क्षेत्रों की समस्या को लेकर जहर मुक्त बड़ीसादड़ी संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

समिति के संयोजक रणजीत सिंह झाला, सहसंयोजक प्रभु प्रजापति तथा टीम के सदस्य विनोद रांका, निहाल आमेटा, वैभव मोगरा सहित पूरी टीम द्वारा इस मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया गया है। इससे पहले समिति की ओर से बड़ी सादड़ी में औद्योगिक कचरे के विरोध में लगातार 56 दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया गया। लंबे आंदोलन के बाद अब मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा है। हाईकोर्ट में प्रस्तुत मामले में बड़ी सादड़ी तहसील के आसपास कथित रूप से डाले गए औद्योगिक कचरे और उससे प्रभावित भूमि का मुद्दा उठाया गया है। न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेश के अनुसार तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी को विवादित भूमि से मिट्टी के नमूने एकत्र कर उनकी जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

आम सूचना

मैं मेरे व्यवहारी श्रीमती संतोष देवी बैरवा W/o श्री रामचंद्र बैरवा के निर्देशानुसार हर खास आम को सूचित करता हूं कि एक जायदाद प्लॉट न. 29 & 30, आराजी नं. 4958, राजस्व ग्राम पुर, जिला भीलवाड़ा मे स्थित है। उक्त जायदाद मेरे व्यवहारी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08/03/2023 को श्री सत्यनारायण S/o श्री लादू बैरवा से क्रय किया जो उपपंजीयक कार्यालय भीलवाडा में पंजीबद्ध है, यह कि उक्त संपति श्री सत्यनारायण S/o श्री लादू बैरवा को जरिए रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 10/05/2018 से प्राप्त हुई है, उक्त हकत्याग, उपपंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में पंजीबद्ध है, अतः उक्त जायदाद व उक्त हकत्याग के बाबत कोई भी बैंक, वित्तीय संस्था, संस्था अथवा व्यक्ति किसी भी रूप से हितबद्ध रखता हो या किसी को आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिन के भीतर प्रमाण सहित मेरे व्यवहारी के समक्ष या मुझ अधिवक्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना क्लेम/ आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त संदर्भ में कोई भी आपत्ति अथवा क्लेम किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।

दिनांक : 21/08/2026

एडवोकेट- प्रियव्रत नागला
बी-14, सिद्धी प्लाजा, गंगापुर चौराहा,
भीलवाड़ा, मो. 8824909024

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान

राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम 2026-2027
खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जूनियर विज्ञान में

कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक सभी छात्रों को 21 और 22 नवंबर, 2026 को भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ (IAPT) द्वारा आयोजित संबंधित राष्ट्रीय मानक परीक्षाओं (NSEs) (विज्ञान विषयों के लिए) में उपस्थित होना होगा।

NSE में योग्यता 2027 के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भागीदारी की दिशा में पहला कदम है।

नामांकन के लिए :

NSES: https://www.iapt.org.in (21 अगस्त - 14 सितंबर, 2026)

अधिक जानकारी के लिए : https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in

cbc 48143/11/0005/2627

विद्यार्थियों से रुबरू होकर जानी पढ़ाई, भोजन और आवासीय व्यवस्थाओं की स्थिति

व्यवस्थाओं में गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश

सलूंबर (प्रातःकाल संवाददाता)। जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनेद पी.पी. ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कुण का निरीक्षण कर विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक, आवासीय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को विद्यार्थियों की सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से आत्मीयता के साथ संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, विषयों की समझ, विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं, दैनिक दिनचर्या तथा किसी प्रकार की समस्या के संबंध में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उन्होंने विद्यालय की वास्तविक व्यवस्थाओं एवं विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को समझने का प्रयास किया।



भोजन की गुणवत्ता और मेन्यू की ली जानकारी

जिला कलेक्टर ने विद्यालय में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन मेन्यू, भोजन की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन उपलब्ध होने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित कार्मिकों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा निर्धारित मेन्यू की नियमित रूप से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पौष्टिकता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

14 विद्यालयों में हुए सुपर मेगा करियर काउंसलिंग कार्यक्रम, 1800 छात्र-छात्राएं लाभान्वित

आईसीएआई की पहल पर छात्र-छात्राओं को मिला मार्गदर्शन

राजसमन्द (प्रातःकाल संवाददाता)। भविष्य की राह सुपर मेगा करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई राजसमन्द शाखा की ओर से क्षेत्र की विभिन्न 14 शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विद्यार्थियों को कॉमर्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मौजूद करियर अवसरों से रूबरू कराया गया। वृहद स्तर पर एक साथ हुए कार्यक्रमों में 1800 से अधिक छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए।

आइसीएआइ की करियर काउंसलिंग समिति के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम अंतर्गत शुक्रवार को देशव्यापी अभियान के क्रम में राजसमन्द शाखा की ओर से एक दिन में यहां के 14 विद्यालयों में काउंसलिंग की गई जिसमे विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। राजसमन्द शाखा अध्यक्ष सीए मयंक एन. राठी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कॉमर्स शिक्षा एवं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें भविष्य के लिए सही करियर विकल्प चुनने के सन्दर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करना है। कार्यक्रमों में आइसीएआइ से जुड़े विशेषज्ञों एवं अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने छात्र-छात्राओं को व्यावहारिक एवं व्यवस्थित करियर मार्गदर्शन प्रदान किया। यही नहीं विद्यार्थियों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ ही अकाउंटिंग, फ इनेंस, टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्ध उपालब्ध तमाम करियर अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने काउंसलर के रूप में विद्यार्थियों से संवाद किया एवं उन्हें कॉमर्स एवं सीए को करियर के रूप में अपनाने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम अन्तर्गत सीए शिप्रा जैन, सीए गोविन्द सनाढ्य, सीए हर्ष सनाढ्य, सीए विशाखा शारदा, सीए रोहित लड्ढा, सीए मयंक थरपाल, सीए तनय शर्मा, सीए अंशुल ठाकुर, सीए भावेश काबरा, सीए हर्षित मित्तल, सीए आकांक्षा कुमावत, सीए कल्पना पालीवाल, सीए सागर जेठवानी व सीए प्रताप चौहान ने कैरियर मार्गदर्शन किया। आईसीएआई समिति उपाध्यक्ष सीए डीएस मेहता, सचिव सीए प्रिंस श्रीमाली, कोषाध्यक्ष सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य, चेयरमैन सीए कोमल चांडक एवं एमसीएम सीए धर्मेन्द्र व्यास ने काउंसलर के रूप में योगदान दिया।

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.09.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

चित्तौडगढ़, बापू नगर चित्तौडगढ़, 0116670700025453, 5472, 5485, 5510, 5529, 5530, 5531, 6419, 6428, 6450, 6462, 6464, 6476, 6486, 6496, 0116670730046245, 0106, 0110, 0120, 0131, 0136, 0137, 0138, 0164, 0169, 0185, 0189, 0200, 0210, 0229, 0232, 0264, 0265, 0269, 0275, मीरा नगर चित्तौडगढ़, 0124830700022098, 2103, 3129, 3149, 3151, 3168, 3172, 3183, 3188, 3191, 3198, 3202, 3203, 3207, 3212, 3214, 3218, 3222, 0124830730038488, 8548, 4017, 4031, 4055, 4065, 4066, 4072, 4076, 4111, 4117, 4137, 4138, 4141, 4148, 4154, 4180, 4188, 4201, 4218, 4219, 4221, 4232, 4233, 4234, राजसमंद, कांक्रोली, 0135730700016169, 6192, 6989, 6992, 6993, 7000, 7003, 7005, 7006, 7024, 7033, 0135730730052388, 2428, 2569, 6634, 6640, 6657, 6658, 6659, 6660, 6662, 6669, 6673, 6682, 6692, 6693, 6696, 6697, 6700, 6701, 6705, 6709, 6721, 6733, 6734, 6740, 6742, 6766, 6785, 6786, 6800, 6801, 6803, 6808, 6821, न्यू रोड नाथद्वारा, 0138020700005474, 5501, 5507, 5523, 6055, 6056, 6057, 6061, 6069, 6081, 6084, 6090, 6092, 6094, 6096, 6101, 6111, 0138020730033276, 3279, 5545, 5560, 5567, 5572, 5576, 5578, 5584, 5592, 5598, 5599, 5600, 5604, 5605, 5606, 5611, 5614, 5615, 5616, 5620, 5621, 5624, 5625, 5626, 5636, 5638, 5639, राजसमंद, 0137900700005181, 5792, 5798, 5809, 5813, 5815, 5830, 5832, 5833, 5841, 5843, 0137900730021849, 1850, 1851, 1852, 1866, 1899, 1907, 5830, 5837, 5855, 5856, 5857, 5860, 5862, 5879, 5887, 5900, 5904, 5907, 5918, 5926, 5932, 5940, 5944, 5952, 5967, 5987, 5988, 5994, 0239, 0287, 0294, उदयपुर, हिरान मंगरी उदयपुर, 0113790700032231, 2321, 2322, 2328, 2333, 2334, 2349, 2358, 2368, 2383, 3341, 3350, 3364, 3367, 3372, 3378, 3381, 3389, 3390, 3397, 3399, 3403, 3411, 0113790730046801, 1486, 1497, 1510, 1515, 1523, 1526, 1527, 1528, 1533, 1535, 1538, 1543, 1545, 1547, 1553, 1572, 1575, 1578, 1586, 1589, 1596, 1598, 1603, 1611, 1624, 1627, 1642, 1643, 1645, 1653, 1654, 1658, 1660, 1661, 1664, 1680, 0135, केशव नगर चौराहा, 0126580700022504, 2557, 2575, 2593, 3415, 3419, 3422, 3423, 3435, 3443, 3447, 3449, 3451, 3465, 3467, 3483, 3485, 3486, 3503, 0126580730028771, 8798, 8806, 8807, 8811, 8834, 8843, 8854, 8857, 8872, 8873, 8900, 8911, 8912, 8915, 8920, 8921, 8930, 8935, 8937, 8940, 8941, 8955, 8967, 8980, 8986, 8991, 8993, प्रताप नगर उदयपुर, 0114260700025486, 5522, 5530, 5668, 5720, 6472, 6480, 6489, 6497, 6504, 6513, 6519, 6520, 6521, 6522, 6531, 6532, 6541, 6545, 6552, 6557, 0114260730019640, 9733, 3741, 3757, 3758, 3761, 3764, 3766, 3770, 3772, 3774, 3776, 3777, 3780, 3787, 3788, 3789, 3797, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3805, 3806, 3807, 3809, 3811, 3821, 3823, 3824, 3825, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3838, 3839, 3846, 3848, 3849, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3878, 3881, 3886, 3893, 3900, 3901, 0093, तोरण बावड़ी उदयपुर, 0113780700027435, 7436, 7472, 8368, 8373, 8376, 8388, 8394, 8411, 8416, 8419, 8426, 8430, 8432, 8443, 0113780730032949, 2961, 2963, 2979, 2980, 2984, 2985, 2986, 2989, 3001, 3005, 3032, 3058, 3076, 3077, 3081, 3082, 3084, 3086, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3094, 3100, 3104, 3106, 3107, 3118, 3123, 3124, 3130, 3131, 3135, 3147, 3153, 3154, 3160, 3161, 3162, 3168, 3170, 3174, 3177, 3178, 3191, 3192, 3193, 3200, 3204, 3207, 3210,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED
peoplehome

पंजीकृत कार्यालय :
यूनिट नंबर 301, तीसरी मंजिल, हरभजन कमर्शियल प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सीएसटी रोड, बीपीसीएल पेट्रोल पम्प के सामने, कलिना, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई- 400098.
CIN: U65922MH2016PLC273826

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के परिशिष्ट IV को नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पढ़ा जाए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को मांग नोटिस जारी किया जाता है। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संविदात्मक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि चुकानी होगी। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कब्जा** कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अनुबंधात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ शुल्क के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं./उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और कुल बकाया राशि (रू.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRCR23011064 राम गिरी गोस्वामी/ गुडी बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में, आराजी सं. 580, पट्टा सं. 49, माप 1445.5 व.फी., ग्राम और ग्राम पंचायत- माण्डला चारन, तहसील- निम्बाहेड़ा, जिला- चित्तौड़गढ़-312614, राजस्थान। सीमाएँ :- पूर्व : आम रास्ता, पश्चिम : स्कूल, उत्तर : नारायण गिरी का मकान, दक्षिण : उदयगिरी का मकान	12-मई-26/ रू. 924090/- (रूपये नौ लाख चोईस हजार नब्बे मात्र)	17-08-2026
2	UDRNB24015502 मुकेश कुमार ढोली/ सुरेश चन्द्र ढोली/ नानी बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में, पट्टा सं. 15, ग्राम- अरनिया माली, माप 1260 व.फी., ग्राम पंचायत- बारडा, तहसील- निम्बाहेड़ा, जिला- चित्तौड़गढ़-312601, राजस्थान। सीमाएँ :- पूर्व : बालू/तुलसी राम का मकान, पश्चिम : सड़क, उत्तर : रमेश चन्द्र/ राम नारायण जाट का मकान, दक्षिण : मोहन लाल/देवा भील का मकान	12-मई-26/ रू. 510449/- (रूपये पांच लाख दस हजार चार सौ उनपचास मात्र)	17-08-2026
3	UDRCR24015699 लादू लाल/ मोहनी बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में, पट्टा सं. 24, आराजी सं. 1326, माप 1550 व.फी., ग्राम और ग्राम पंचायत- चेची, तहसील- बेगूं, जिला- चित्तौड़गढ़-312023, राजस्थान। सीमाएँ :- पूर्व : आम रास्ता, पश्चिम : प्रेम कुंवर पत्नी मनोहर सिंह, उत्तर : नाले के बाद आम रास्ता, दक्षिण : आम रास्ता	21-मई-26/ रू. 1405523/- (रूपये चौदह लाख पांच हजार पांच सौ तेईस मात्र)	17-08-2026
4	UDRCR24020296 प्रहलाद दास वैष्णव/ नन्दू बाई/ ममता कुमारी वैष्णव	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में, खाता सं. 327, खसरा सं. 1606, 1607, माप 1120 व.फी., ग्राम भाटवाड़ा कलां, ग्राम पंचायत- बोरडा, तहसील- गंगरार, जिला- चित्तौड़गढ़-312202, राजस्थान। सीमाएँ : पूर्व : लोभ जी, पश्चिम : शंकर गाडरी, उत्तर : सड़क, दक्षिण : शंकर गाडरी	30-सितंबर-25/ रू. 1095234/- (रूपये दस लाख पचानवे हजार दो सौ चोंतीस मात्र)	17-08-2026

दिनांक : 22.08.2026/ स्थान : राजस्थान

हस्ता./- अधिकृत अधिकारी, वास्ते सेन्ट्रम हाउसिंग फाईनेन्स लि.